

**कार्यालय पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़**

विभागाध्यक्ष कार्यालय इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
दूरभाष नं. 0771-2511920, फ़ैक्स नं. : 2511918 ईमेल -rscs.coop@nic.com

क्रमांक/साख/सर्कुलर/2021/3683 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक : 29.09.2021

प्रति,

- 1 संभागीय संयुक्त पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं(समस्त),
.....
- 2 उप/सहायक पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं,(समस्त)
.....
- 3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी.
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित(समस्त)
.....

विषय:- पुनर्गठन पश्चात् प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में स्टॉफिंग पैटर्न निर्धारण तथा नवगठित समितियों में सेवायुक्तों की भर्ती बाबत।

संदर्भ:- 1. कार्यालयीन ज्ञापन क्र./साख/सर्कुलर/2020/4456, दिनांक 21.12.2020.

2 छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/2279, दिनांक 27.10.2020.

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र में शासन के परिपत्र दिनांक 07.11.2020 तथा पंजीयक द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के लिए अनुमोदित सेवा नियमों का उल्लेख करते हुए नवगठित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में वर्तमान आवश्यकता अनुसार सेवायुक्तों की अस्थायी व्यवस्था किये जाने तथा पूर्ववर्ती समितियों में भी किसी भी प्रकार की भर्ती की कार्यवाही आगामी आदेश पर्यन्त नहीं किये जाने बाबत निर्देश जारी किए गये थे।

वर्तमान में बिलासपुर संभाग अंतर्गत जिला स्तर पर पंजीकृत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में सेवा नियमों से इतर भर्ती किये जाने अधिकारियों द्वारा भर्ती की व्यक्तिवार अनुमति दिए जाने तथा पूर्व में की गयी भर्तियों के अनुमोदन/पुष्टि किए जाने संबंधी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच प्रक्रियाधीन है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र फरवरी-मार्च 2021 में भी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं उनके धान खरीदी केन्द्रों में सोसाइटी की अनियमित भर्ती के संबंध में विधानसभा प्रश्न उठाए गए हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि संभाग एवं जिला स्तर के अधिकारी पंजीयक द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के लिए अनुमोदित सेवा नियमों का अनुपालन गंभीरता पूर्वक नहीं करा पा रहे हैं। सहकारिता विभाग अंतर्गत अधीनस्थ संभागीय एवं जिला अधिकारी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के तहत राज्य शासन की अधिसूचना द्वारा प्रत्यायोजित पंजीयक की शक्तियां एवं कर्तव्यों का पालन प्रत्यायोजित सीमा के भीतर करने हेतु सक्षम है।

छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 15-26/15-02/2020/2388, दिनांक 07.11.2020 की कंडिका 03 में पुनर्गठित समितियों के मध्य सेवायुक्तों के विभाजन के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। अतः सोसाइटी के वर्गीकरण तथा कार्मिक व्यवस्था के संबंध में पंजीयक द्वारा अनुमोदित तथा संशोधित सेवा नियमों का पालन करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें:-

1 सोसाइटी का व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण का मापदण्ड:-

प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी सेवा नियम, 2018 की कंडिका 03 सोसाइटी के वर्गीकरण से संबंधित है, जिसमें कर्मचारियों की पदवार संख्या निर्धारित करने के लिए सोसाइटीयों को 03 वर्ष के औसत कारोबार/व्यवसाय के आधार पर निम्न चार वर्गों में विभक्त किया गया है:-

क्र.	कुल व्यवसाय	सोसाइटी का वर्ग
1	रु. 06.00 करोड से अधिक	“अ” वर्ग
2	रु. 03.00 करोड से रु. 06.00 करोड तक	“ब” वर्ग
3	रु. 01.00 करोड से रु. 03.00 करोड तक	“स” वर्ग
4	रु. 01.00 करोड से कम	“द” वर्ग

2 पुनर्गठन पश्चात् प्रभावित तथा परिणामी सोसाइटी का वर्गीकरण तथा तदनुसार कर्मचारियों की संख्या का आंकलन:-

1. सोसाइटीयों के पुनर्गठन पश्चात् प्रभावित तथा परिणामी सोसाइटीयों का व्यवसाय के आधार पर कंडिका-01 अनुसार वर्गीकरण अंकेक्षिज वित्तीय पत्रक वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आधार पर किया जावे। उक्तानुसार प्रभावित सोसाइटी के वर्तमान वर्गीकरण में यदि कोई परिवर्तन होता है, तो जिस वर्गीकरण अंतर्गत सोसाइटी आयेगी, उसी वर्गीकरण के अनुरूप कर्मचारियों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किया जायेगा।
2. प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी सेवा नियम 2018 की कंडिका 05 में सोसाइटीयों के वर्गीकरण अनुसार, कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण किया गया है जो कि निम्नानुसार है:-

क्र.	सोसाइटी का वर्गीकरण	समिति प्रबंधक /संवर्ग समिति प्रबंधक	लेखापाल /सहायक समिति प्रबंधक	लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर	भृत्य/ चौकीदार	विक्रेता	अतिरिक्त कर्मचारी सहायक समिति प्रबंधक तथा लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर
1	“अ” वर्ग(रु. 6.00 करोड से अधिक)	1	2	3	2	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत	प्रत्येक 03 करोड के अतिरिक्त व्यवसाय पर 01 अतिरिक्त लिपिक

2	“ब” वर्ग(रू. 3.00 करोड से रू. 6.00 करोड तक)	1	1	2	2	संचालित प्रत्येक दुकान के लिए एक विक्रता की नियुक्ति की जाएगी।	सह कम्प्यूटर ऑपरेटर अतिरिक्त रखा जा सकेगा। परन्तु 04 से अधिक अतिरिक्त लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर नहीं रखे जा सकेंगे, किन्तु जिन समितियों में प्रधानमंत्री उज्जवला योजनांतर्गत दुर्गम क्षेत्रीय वितरक है, उनमें 01 सहायक समिति प्रबंधक/लेखापाल तथा 01 ऑपरेटर अतिरिक्त नियुक्त किया जा सकेगा।
3	“स” वर्ग(रू. 1.00 करोड से रू. 3.00 करोड तक)	1	1	2	1		
4	“द” वर्ग(रू. 1.00 करोड से कम)	1	0	1	1		

उक्तानुसार “अ”, “ब”, “स”, “द”, वर्ग में वर्गीकृत सोसाइटी के लिए तालिका में दर्शित संख्या सोसाइटी में कर्मचारियों की अधिकतम संख्या होगी।

- 3 सोसाइटियों के उक्तानुसार वर्गीकरण, सेवायुक्तों की अधिकतम संख्या निर्धारण तथा स्टॉफिंग पैटर्न स्वीकृति संबंधी कार्यवाही संबंधित वित्तदायी बैंक के शाखा प्रबंधक के सोसाइटी की वित्तीय स्थिति के विस्तृत आंकलन के आधार पर प्रारूप-01 में प्रस्तुत प्रस्ताव तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की अनुशंसा पर संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा किया जावे।
- 4 सोसाइटियों के पुनर्गठन पश्चात् प्रभावित तथा परिणामी सोसाइटियों के मध्य सेवायुक्तों के विभाजन के संदर्भ में संदर्भित पत्र क्रं 02 में निर्देश दिए गए हैं। अतः उक्त कंडिका 2(11) में नियत प्रक्रिया अनुसार सोसाइटी के वर्गीकरण के अनुक्रम में सेवायुक्तों की संख्या का निर्धारण उपरान्त सेवायुक्तों से संलग्न प्रारूप-11 में विकल्प प्राप्त कर, विभाजन की कार्यवाही संबंधित वित्तदायी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुशंसा पर संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा किया जावे। अनुपातिक संख्या में विकल्प प्राप्त ना होने तथा प्रभावित सोसाइटी में नवीन वर्गीकरण पश्चात् नियत संख्या से अधिक सेवायुक्त कार्यरत होने की दशा में कनिष्ठतम सेवायुक्त को नवगठित समिति में पदस्थ किया जावे। परिणामी समिति में संवर्ग(कैडर)समिति प्रबंधक की नियुक्ति नहीं होने तक प्रभावित सोसाइटी के समिति प्रबंधक द्वारा ही परिणामी सोसाइटी में भी प्रभारी समिति प्रबंधक का कार्य संपादित किया जाएगा।

3अतिशेष कर्मचारियों का युक्तियुक्तकरण:-

यदि पुनर्गठन पश्चात् प्रभावित सोसाइटी का वर्गीकरण वर्तमान वर्ग से निम्न में होता है, तो कर्मचारियों की अधिकतम संख्या के आंकलन उक्त तालिका अनुसार करने के पश्चात् आधिक्य(अतिशेष)कर्मचारियों के संदर्भ में प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी सेवा नियम, 2018 की कंडिका 5.2 अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

4 सोसाइटी की रिक्तियों को अंतिम रूप दिया जाना:-

उक्तानुसार प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के मध्य सेवायुक्तों के विभाजन पश्चात् प्रारूप-1 की कॉलम 12 में दर्शित रिक्ति को संबंधित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा प्रमाणित किए जाने पर, संबंधित सोसाइटी के लिए अंतिम रिक्ति माना जावेगा। यह कार्यवाही अनिवार्य रूप से 15.10.2021 तक पूर्ण कर लिया जावे।

5 कर्मचारियों की व्यक्तिगत नस्ती संधारण:-

प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी सेवा नियम 2018 की कंडिका 20 अनुसार, सोसाइटी के सभी सेवायुक्तों की व्यक्तिगत नस्ती/सेवा पुस्तिका का संधारण किया जाना है, जिसकी संयुक्त जवाबदारी सोसाइटी के समिति प्रबंधक तथा संबंधित बैंक की शाखा प्रबंधक

की है। अतः सेवायुक्तों के विभाजन पश्चात् प्रथमतः सभी सहकारी सोसाइटियों के सेवायुक्तों की पूर्ण एवं सही जानकारी यथा-सेवापुस्तिका एवं अचल सम्पत्ति आदि संबंधित जिले के उप/सहायक पंजीयक एवं जिला सहकारी बैंक मुख्यालय/नोडल कार्यालय/अपेक्स बैंक(रायगढ़ जशपुर जिले के लिए)स्तर पर अनिवार्यतः प्रारूप-3 में दर्शित प्रारूप में संधारित किया जावे।

समिति द्वारा नियत प्रारूप में सेवायुक्तों की सेवा पुस्तिका संधारण का परीक्षण के पश्चात् ही संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा भर्ती की अनुमति संबंधी कार्यवाही की जाएगी। सेवा पुस्तिका संधारण संबंधी कार्यवाही समय-सीमा में नहीं होने की दश में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के संबंधित शाखा प्रबंधक के विरुद्ध सेवा नियमों के तहत कठोर कार्यवाही करते हुए युक्तियुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर, भर्ती की अनुमति की समय-सीमा में वृद्धि बाबत अनुमति पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा दी जा सकेगी।

6 रिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति:

1. प्रभावित तथा परिणामी सोसाइटी में रिक्तियों की उक्तानुसार गणना पश्चात् सोसाइटी के वित्तीय सक्षमता का आंकलन करते हुए स्वीकृत स्टॉफिंग पैटर्न अनुसार सेवायुक्तों का व्यय भार उठाने में सोसाइटी के सक्षम होने पर ही जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुशंसा पर संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा अत्यन्त आवश्यक होने पर ही सोसाइटी में पदों की सेवा नियम के प्रावधान अनुसार भर्ती की अनुमति संबंधी कार्यवाही की जाएगी।
2. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा सोसाइटी के रिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति सभी रिक्त पदों के लिए एकमुश्त न दिया जाकर 03 अलग-अलग चरणों में दिया जाएगा।
3. संयुक्त पंजीयक द्वारा उक्तानुसार अनुमति की प्रति समितिवार जिले के उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी दी जाएगी।
4. समिति या सम्बद्ध बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा संभागीय संयुक्त पंजीयक या जिले के उप/सहायक पंजीयक को सीधे प्रेषित प्रस्ताव विचार योग्य नहीं होंगे।
5. यह स्पष्ट किया जाता है कि सेवा नियमों में समिति में किसी पद पर भर्ती का अनुमोदन संबंधी कोई भी प्रावधान नहीं है, अपितु समिति के रिक्त पदों पर भर्ती बाबत प्रक्रिया प्रावधानित है। अतः संभागीय संयुक्त पंजीयक द्वारा केवल सेवा नियमों के प्रावधानों के तहत रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने की अनुमि ही दी जावेगी।

7 समिति प्रबंधक का पद जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के कैंडर से:-

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 54(3) के तहत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के समिति प्रबंधक का पद सम्बद्ध का पद किसी भी दशा में सोसाइटी द्वारा सीधी भर्ती या पदोन्नति से नहीं भरा जावेगा।

8 सोसाइटी के स्थापना व्यव बाबत वित्तीय मापदण्ड:-

संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा भर्ती की अनुमति दिए जाते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी दशा में सोसाइटी का स्थापना व्यय कार्यशील पूंजी के 02 प्रतिशत तथा सकल आय के 30 प्रतिशत की सीमा के भीतर हों।

9 सोसाइटी में कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया:-

1. प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती बाबत दी गयी अनुमति के तहत भर्ती की कार्यवाही सोसाइटी द्वारा "प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटियों के सेवायुक्तों के लिए सेवानियम-2018" की

कंडिका 06 में गठित चयन समिति के माध्यम से सेवानियम में यथासंशोधित प्रावधानों का पालन करते हुए कार्यक्षेत्र के ग्रामों में मुनादी, एक स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशन सोसाइटी मुख्यालय, संबंधित शाखा कार्यालय तथा सोसाइटी के कार्यक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायतों/स्थानीय निकाय कार्यालय एवं क्षेत्र अंतर्गत महत्वपूर्ण शासकीय कार्यालयों में विज्ञापन चस्पा करते हुए किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में सेवा नियमों के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जावेगा।

2. प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटियों द्वारा भर्ती के संबंध में बोर्ड के प्रस्ताव एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं से भर्ती हेतु प्राप्त अनुमति के आधार पर सेवायुक्तों की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशन एवं आगामी कार्यवाही हेतु अनुरोध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को प्रेषित किया जाएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा भर्ती संबंधी अनुमति एवं समिति के अनुरोध का परीक्षण कर सभी सहकारी समितियों के लिए कंडिका 9-1 अनुसार संकलित विज्ञापन का प्रकाशन जिले के उप पंजीयक/सहायक पंजीयक के अनुमोदन उपरान्त कराया जायेगा।
3. उक्त विज्ञापन के अनुक्रम में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के संबंधित बैंक शाखा जिससे सोसाइटी संबंधित है, में प्राप्त किया जाएगा। बैंक शाखा द्वारा प्राप्त आवेदनों को समितिवार पंजीबद्ध कर, नियत तिथि को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सेवायुक्तों के लिए सेवा नियम 2018 के नियम 6 में गठित चयन कमेटी के समक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मुख्यालय में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।
4. समितिवार प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सेवायुक्तों के लिए सेवा युक्तों के लिए सेवा नियम 2018 के नियम 6 में गठित चयन कमेटी द्वारा किया जायेगा तथा मेरिट आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची पदवार तैयार की जाएगी।
3. सोसाइटी में सीधी भर्ती के किसी भी पद पर भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
4. जिले के उप/सहायक पंजीयक, सहकारी सहकारी संस्थाएं द्वारा पात्र उम्मीदवारों का चयन कर सूची समिति को उपलब्ध कराई जावेगी।
5. उक्त चयन सूची के साथ ही कमेटी द्वारा 25 प्रतिशत अथवा कम से कम 01 अभ्यर्थी, जो भी अधिक हो की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी साथ में सोसाइटी को प्रदाय की जाएगी जो उस सोसाइटी के उक्त पद हेतु एक साल तक वैध रहेगा।
6. चयन कमेटी द्वारा दी गई चयन सूची अनुसार नियुक्ति पत्र संस्था के संचालक मण्डल में रखकर स्वीकार करते हुए समिति प्रबंधक द्वारा सेवायुक्तों के नियुक्ति आदेश जारी किये जाएंगे।

उक्तानुसार पुनर्गठित सोसाइटियों के मध्य सेवायुक्तों के विभाजन/युक्तिकरण पश्चात् सोसाइटी की वित्तीय स्थिति एवं भुगतान क्षमता का आंकलन करते हुए सोसाइटी में नवीन भर्ती अत्यावश्यक होने व व्यय भार उठाने में सक्षम होने की दशा में ही सेवा नियमों का पालन करते हुए भर्ती की कार्यवाही संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के पर्यवेक्षण मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में संपादित किया जावे। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त निर्देश परिणामी नवीन समितियों में सेवायुक्तों की भर्ती हेतु प्रभावशील होगा।

सेवा-नियमों का उल्लंघन कर की गई भर्ती तथा भर्ती की अनुमति/अनुशंसा/अनुमोदन / पुष्टि स्वीकार्य नहीं होगी तथा संबंधित अधिकारी/बोर्ड के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक/प्रशासकीय कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

सही

(हिम शिखर गुप्ता)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

क्रमांक/साख/सर्कुलर/2021/3683 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक : 29.09.2021
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर।
3. अध्यक्ष/प्रबंधक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, समस्त द्वारा जिला/उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं.....।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सही

पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

प्रारूप-1

सोसाइटी पुनर्गठन पश्चात् रिक्त पदों की गणना हेतु प्रारूप

क्र.	पुनर्गठन के पूर्व की स्थिति में							पुनर्गठन के पश्चात् की स्थिति में						रिमार्क
	प्रभावित सोसाइटी का नाम	औसत व्यवसाय	सोसाइटी का वर्गीकरण	स्टॉफिंग अनुसार पदों की संख्या	पैटर्न	कार्यरत सेवायुक्त		परिणामी सोसाइटियों के नाम	31.03.2021 पर व्यवसाय	सोसाइटी का वर्गीकरण	स्टॉफिंग पैटर्न अनुसार पदों की संख्या	विकल्प के आधार पर स्थानांतरित सेवायुक्त	रिक्त पदों की स्थिति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

समिति प्रबंधक

.....सहकारी समिति,
.....

शाखा प्रबंधक शाखा.....

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,
.....

सहकारिता विस्तार अधिकारी, .

विकासखण्ड.....
जिला-.....

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित
.....

प्रारूप-2

पुनर्गठन पश्चात् सेवायुक्तों के सोसाइटी प्राथमिकता/विकल्प बाबत

मैं(नाम).....पिता/पति.....
पदनाम.....
प्राथमिक/आदिम/ जाति/वृहताकार कृषि साख सहकारी
 समिति मर्यादित,.....पं.क्र.....दिनांक....
तहसील.....जिला.....में दिनांक.....
से वेतनमान.....पर पदस्थ हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य में
 प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन उपरान्त मेरी सोसाइटी का विभाजन.....
सोसाइटियों के किया गया है।

अतः सोसाइटी के विभाजन उपरान्त मैं अपनी सेवाएं/आदिम/जाति/वृहताकार कृषि साख
 सहकारी समिति मर्यादित.....पं.क्र.....दिनांक.....
तहसील.....जिला-.....में देने का इच्छुक हूँ। इस
 विकल्प/प्राथमिकता के आधार पर सेवायुक्तों के विभाजन पश्चात् प्रभावित परिणामी सोसाइटी में मेरा
 कोई अधिकार निर्मित नहीं होगा।

स्थान:-

दिनांक:-

.....
 (सेवायुक्त का हस्ताक्षर)

.....
 (नाम तथा पदनाम)

शाखा प्रबंधक, शाखा.....

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,

द्वारा प्रतिहस्ताक्षर

उप पंजीयक

सहकारी संस्थाएं

द्वारा प्रतिहस्ताक्षर

प्रारूप-3

(सेवा पुस्तिका का प्रारूप)

(A)

निष्ठा हेतु शपथ

मैं.....गंभीरतापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं संस्था के प्रति सदैव पूर्ण निष्ठावान रहूँगा तथा मैं कार्यालय में अपने कर्तव्यों का वफादारी ईमानदारी तथा निष्पक्षता से निर्वहन करूँगा।

(ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करें)

दिनांक:—.....

हस्ताक्षर:—.....

समिति प्रबंधक,

(नाम सहित)

(सेवायुक्त)

द्वारा प्रतिहस्ताक्षर

(शाखा प्रबंधक)

प्रारूप-3

(सेवा पुस्तिका का प्रारूप)

(A)

निष्ठा हेतु शपथ

मैं.....गंभीरतापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं संस्था के प्रति सदैव पूर्ण निष्ठावान रहूँगा तथा मैं कार्यालय में अपने कर्तव्यों का वफादारी ईमानदारी तथा निष्पक्षता से निर्वहन करूँगा।

(ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करें)

दिनांक:-.....

हस्ताक्षर:-.....

समिति प्रबंधक,

(नाम सहित)

(सेवायुक्त)

द्वारा प्रतिहस्ताक्षर

(शाखा प्रबंधक)

(B)

1. कर्मचारी का नाम तथा उपनाम
2. जाति, धर्म
3. निवास का पता
स्थायी पता
- वर्तमान पता
4. पिता का नाम, उपनाम
5. जन्मतिथि
6. ऊंचाई
7. पहचान चिन्ह
8. कर्मचारी के हस्ताक्षर तथा हस्ताक्षर की तारीख1.....
2.....
3.....
9. कार्यालय के प्रधान अधिकारी या अन्य
अधिकारी जो उपरोक्त प्रत्येक हस्ताक्षर का
सत्यापन करेगा के हस्ताक्षर सत्यापन की
तारीख सहित.

टीप:- इस पृष्ठ में की गई प्रविष्टियों का नवीनीकरण या पुनः सत्यापन कम से कम प्रति पाँच वर्ष में किया जाना चाहिए। कंडिका 08 व 09 में किए जाने वाले हस्ताक्षरों की तारीख भी लिखी जानी चाहिए।

(C)

कर्मचारियों के बाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों के निशान

कनिष्ठा उंगली	(Little Finger)	
अनामिका उंगली	(Ring Finger)	
मध्यम उंगली	(Middle Finger)	
अंगूठा उंगली	(Thumb Finger)	
तर्जनी	(Fore Finger)	

कर्मचारी के हस्ताक्षर
दिनांक

अधिकारी जिसके समक्ष उंगलियों के चिन्ह
लिए गए हों के हस्ताक्षर, पदनाम एवं दिनांक

(D)												
पद का नाम एवं वेतनमान	वर्तमान वेतन	नियुक्ति का दिनांक	कर्मचारी के हस्ताक्षर	सोसाइटी के प्रबंधक के हस्ताक्षर मय सील के या कॉलम न. 01 व 04 तक के प्रमाणित करने वाले अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर	पदोन्नत पद	पदोन्नति का दिनांक	सोसाइटी के प्रबंधक के हस्ताक्षर या अन्य प्रमाणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर	ली गई छुट्टी उसका स्वरूप और अवधि	सोसाइटी के प्रबंधक के हस्ताक्षर या अन्य प्रमाणितकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर	कर्मचारी को दिया गया दंड निंदा या पुरस्कार अथवा प्रशंसा आदि का विवरण	सोसाइटी के प्रबंधक के हस्ताक्षर या अन्य प्रमाणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर	विशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13